एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस और पंजीकरण के बारे में

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.)

प्रश्न 1. क्या एक ही परिसर में विभिन्न प्रकार के खाद्य कारोबार करने के लिए अलग-अलग लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है?

उत्तर: एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस परिसर पर आधारित होते हैं। एक ही परिसर में किए जा रहे सभी प्रकार के खाद्य कारोबार के लिए एक ही एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है।

प्रश्न 2. मानवीय रुप से जारी किए गए लाइसेंस/पंजीकरण लाइसेंस के नवीकरण के दौरान ऑनलाइन रुप में किस प्रकार परिवर्तित जाएगा?

उत्तर: खाद्य कारोबारी अपने क्षेत्र के अभिहित अधिकारी (लाइसेंसिंग प्राधिकारी) या पंजीकरण प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अभिहित अधिकारी/पंजीकरण प्राधिकारी ऑफलाइन रुप से जारी किए गए लाइसेंस/पंजीकरण का विवरण फोसकोस पोर्टल में प्रविष्ट करेगा। तत्पश्चात, जब भी कभी अपेक्षित होगा, ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से लाइसेंस/पंजीकरण को नवीकृत कराया जा सकता है।

प्रश्न 3 मानवीय रुप से जारी किए गए आपके लाइसेंस को ऑनलाइन लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (फोस्कोस) में परिवर्तित करने के क्या लाभ हैं?

उत्तर: फोस्कोस पोर्टल से ईमेल, एसएमएस के माध्यम से एफबीओ को विभिन्न अनुपालनों के बारे में नियमित रुप से सावधानियों से अवगत कराया जाता रहता है। एफबीओ समय-समय पर अपने लाइसेंस/पंजीकरण से सम्बद्ध अनुपालनों का पता लगा सकता है और दण्ड, यदि कोई हो, का भागीदार होने से बच सकता है।

प्रश्न 4 कौन से खाद्य कारोबारी लघु खाद्य कारोबारी होते हैं? एफएसएसएआई पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए पात्रता क्या है?

उत्तर: लघु खाद्य कारोबारी जो स्वयं खाद्य की किसी वस्तु का विनिर्माण या बिक्री करते हैं या वे स्वयं कोई लघु स्वरुप के खुदरा विक्रेता, फेरी वाले, घूम-घूम कर खाद्य वस्तु का विक्रय करते हैं या किसी अस्थायी स्टाल के धारक हैं या छोटे पैमाने पर या कुटीर या इस प्रकार की अन्य उद्योग जैसे खाद्य कारोबार या छोटे खाद्य कारोबारी है , जिनकी वार्षिक लेनदेन 12 लाख रुपये तक है और/या जिसकी

1. खाद्य उत्पादों की उत्पादन क्षमता 100 किलोग्राम या लीटर प्रति दिन से अधिक नहीं है, या
2. दुग्ध की अधिप्राप्ति या प्रहस्तन या संग्रहण 500 लीटर प्रतिदिन दूध , या
3. प्रति दिन 2 बड़े पशुओं या 10 छोटे पशुओं या 50 पोल्ट्री पक्षियों या इससे कम की वध क्षमता हो

इन खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली या फूड सेफ्टी कनेक्ट एप पर आवदेन करके एफएसएसएआई पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित होता है। पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अंतर्निहित क्यूआर

कोड होता है और एफबीओ की फोटो होती है और 14 अंकों वाले पंजीकरण संख्या होती है जो 2 से प्रारंभ होती है (2xxxxxxxxxxxxx)।

प्रश्न 5 मेरा लाइसेंस /पंजीकरण निलम्बित हो गया है या रद्द हो गया है। क्या मुझे खाद्य वस्तुओं का कारोबार करना बंद करने की जरुरत है?

उत्तर: किसी का लाइसेंस या पंजीकरण निलम्बित या रद्द होने की दशा में, खाद्य कारोबारी को तुरन्त खाद्य वस्तुओं के कारोबार को बंद करने की आवश्यकता होती है। लाइसेंस/पंजीकरण के निलम्बित होने या रद्द होने पर किसी खाद्य कारोबार को करते रहना गैर-कानूनी गतिविधि है और एफएसएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दंण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्न 6 क्या मुझे खाद्य पदार्थों को परोसने या पैकेजिंग के लिए बर्तनों / पैकेजिंग सामग्री के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है।

उत्तर: नहीं। चूँकि, एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 3 (एन) के अनुसार, खाद्य की परिभाषा में ये सम्मिलित नहीं है, इसलिए बर्तन या पैकेजिंग सामग्री के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न 7 मेरा लाइसेंस रद्द हो गया है। क्या मैं नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर: यदि सुधार संबंधी सूचना में की गई सभी टिप्पणियों का अनुपालन कर लिया जाता है तो विनियम 2.1.8 (3) के अंतर्गत रद्द होने की तारीख से 3 महीनों की अवधि के पश्चात, खाद्य कारोबारी संबंधित प्राधिकरण को पंजीकरण या लाइसेंस के लिए एक नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

प्रश्न 8 मेरा आवेदन किसी पूछताछ के उल्लेख के साथ वापिस कर दिया गया है। इसमें हमें क्या करना है? अथवा मेरे आवेदन पर "आवेदन को संशोधन/संपादन के लिए वापिस किया गया है" की स्थिति का उल्लेख है, तो अब इस संबंध में हमें क्या करना होगा?

उत्तर: लाइसेंसिंग या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा की गई पूछताछ का उत्तर 30 दिनों के भीतर देना चाहिए। किसी फेर-बदल / संशोधन करने के लिए आवेदन आवेदक के डेशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगा। यदि कोई आवेदक लाइसेंसिंग या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा की गई पूछताछ का उत्तर नहीं देता है तो आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

प्रश्न 9 रेलवे परिसरों के अधीन खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाएंगे?

उत्तर: जैसाकि समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाता रहा है, रेलवे परिसरों के अधीन खाद्य परिसरों के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण भारतीय रेल के अभिहित अधिकारियों/पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं।

प्रश्न 10 विमान पत्तन/बंदरगाह परिसरों के अधीन खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाएंगे?

उत्तर: विमान पत्तन/बंदरगाह स्थित खाद्य परिसरों के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस विमानपत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों (एपीएचओ) या पत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों (पीएचओ) द्वारा जारी किए जाते हैं जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा अभिहित अधिकारियों (डीओ) के रुप में अधिसूचित होते हैं। विमानपत्तन/बंदरगाह, जहां एपीएचओ/पीएचओ को अभिहित अधिकारी के रुप में अधिसूचित नहीं किया जाता है, को संबंधित क्षेत्र के केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (सीएलए) द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

प्रश्न 11: लाइसेंस की विभिन्न प्रकार की श्रेणियां कौन-कौन सी हैं?

उत्तर: एफएसएस (लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 के अनुसार, एफबीओ को पंजीकरण, राज्य लाइसेंस और केन्द्रीय लाइसेंस की तीन स्तरीय प्रणाली में लाइसेंस और पंजीकरण प्रदान किए जाते हैं। पात्रता से संबंधित मानदण्ड खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस) के होमपृष्ठ पर उपलब्ध है।

प्रश्न 12 मैं एक पंजीकृत सहकारी सोसायटी/गृह उद्योग/महिला उद्योग/ स्व सहायता समूह या इस प्रकार की किसी सरकारी पंजीकरण सोसायटी के लिए अपने घर से खाद्य कारोबार संबंधी गतिविधियों के संबंध में कार्य कर रहा हूँ/विनिर्माण कर रहा हूँ या संचालन कर रहा हूँ। तो क्या मुझे अपने लिए पृथक एफएसएसएआई पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता है?

उत्तर: एफएसएसएआई ने आदेश संख्या 03-01/2012/एंफोर्स- I/एफएसएसएआई दिनांक 21 जनवरी 2015 के द्वारा व्यक्ति सदस्यों को एफएसएसएआई पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए छूट प्रदान की है। ऐसे व्यक्ति को ऐसी सोसायटी का पंजीकृत सदस्य होना चाहिए जिसे एफएसएसएआई का लाइसेंस प्राप्त हो और वह एफएसएसएआई से पंजीकृत हो और आदेश में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों का अनुपालन हो।

प्रश्न 13: मेरी दालों/अनाज की दलहन यूनिट है। मुझे किस प्रकार के लाइसेंस को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी?

उत्तर: दालों/अनाज आदि की दलहन यूनिटें विनिर्माण प्रकार का व्यवसाय है। ये दलहन यूनिटें केवल राज्य लाइसेंस के अंतर्गत आती है। चाहे उनकी उत्पादन क्षमता कुछ भी हो।

प्रश्न 14. यदि मेरे पास 10 से अधिक खाद्य विक्रय मशीनें हैं, जो तृतीय पक्ष द्वारा संचालित की जा रही हैं जिनकी वार्षिक लेनदेन 12 लाख रुपये से अधिक है तो किसे पंजीकरण करना चाहिए?

उत्तर: ऐसे मामलों में, जहां खाद्य वेंडिंग मशीन की वार्षिक कारोबार 12 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे एफएसएसएआई का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। जिस विक्रय मशीन से 12 लाख रुपये तक की वार्षिक कारोबार हो, इस संबंध में जारी एफएसएसएआई आदेश सख्या 15(6)/2018/एफएलआरएस/आरसीडी/एफएसएसएआई दिनांक 08 जुलाई 2019 और 19 सितम्बर 2019 के अनुसार उसके मामले में पेरेंट संस्थान द्वारा एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त किया जाएगा।

प्रश्न 15 क्या निर्यात के लिए एफएसएसएआई से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित है?

उत्तर: नहीं। भारत से खाद्‌य उत्पादों को निर्यात करने के लिए भारतीय खाद्‌य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, निर्यातक द्‌वारा एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है।

प्रश्न 16 क्या आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात लाइसेंस के लिए क्षेत्रीय/राज्य कार्यालय में भौतिक रुप से दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित है?

उत्तर: नहीं। केन्द्रीय/राज्य लाइसेंस के लिए क्षेत्रीय/राज्य कार्यालयों में भौतिक रुप से दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न 17 लाइसेंस को संशोधित करने के लिए कितना शुल्क लगता है?

उत्तर: यदि ऐसा कोई परिवर्तन किया जाना हो जो लाइसेंस प्रमाण पत्र (प्ररुप सी) में दी गई सूचना से भिन्न प्रकार की हो तो खाद्‌य कारोबारी को लाइसेंस में संशोधन करने के लिए आवेदन के साथ 1000/-रुपये शुल्क और इसके साथ उन्नयन के मामले में वार्षिक लाइसेंस शुल्क में अंतर के बराबर विदेभक प्रकार का शुल्क देना होगा।

प्रश्न 18 क्या आयातक के आईईसी कोड को बार-बार दोहराने की अनुमति है?

उत्तर: कोई भी आयातक एक ही आईईसी से युक्त कोई दूसरा आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता जब तक कि वह आवेदन (पूर्ण या अपूर्ण) का विलोपन नहीं करता या वहां लाइसेंस समर्पण नहीं करता जहां यह विशेष आईईसी प्रयोग में लाया गया हो।

प्रश्न 19 मैंने अपना खाद्‌य कारोबार बंद कर दिया है। किस प्रकार एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण समर्पण किया जाए?

उत्तर: आप खाद्‌य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस) एकाउंट में जाकर लाइसेंस या पंजीकरण का जमा करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे जहां से लाइसेंस/पंजीकरण आवेदन किया गया था। संबंधित प्राधिकारी के अनुमोदन के प्रश्चात इसे जमा किया गया मान लिया जाएगा।

प्रश्न 20 स्वामी की मृत्यु की स्थिति में लाइसेंस को एक स्वामी से दूसरे स्वामी को किस प्रकार अंतरित किया जाएगा?

उत्तर: स्वामी की मृत्यु के मामले में लाइसेंस का अंतरण किया जा सकता है। अंतरण का आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। लाइसेंस के अंतरण के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी का प्रमाण अपेक्षित है।

प्रश्न 21 लाइसेंसिंग/पंजीकरण प्राधिकरण के आदेश के विरुद्‌ध किस प्रकार और कहां अपील करें?

उत्तर: एफएसएस अधिनियम 2006 की धारा 32 (4) और 32 (5) के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति जो लाइसेंसिंग/पंजीकरण प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट हो, खाद्‌य सुरक्षा आयुक्त से अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। ऐसी अपील निर्णय की सूचना दिए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर की

जाएगी। यदि अपील सुधार संबंधी सूचना के विरुद्ध की गई हो तो यह अवधि 15 दिन या सुधार सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि, जो भी पहले समाप्त हो, होगी।

प्रश्न 22 किन मुद्दों के संबंध में मेरे खाद्य कारोबार का निरीक्षण किया जाएगा?

उत्तर: निरीक्षण एफएसएस (खाद्य कारोबार की लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 में विनिर्दिष्ट स्वच्छता और साफ-सफाई अपेक्षाओं के मुद्दों पर किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कारोबार के लिए निरीक्षकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मानकीकृत निरीक्षण की जांचसूचियां केवल अनुसूची 4 में दी गई अपेक्षाओं पर आधारित होती हैं और ये https://fssai.gov.in/cms/inspection-matrices.php. पर उलब्ध हैं।

प्रश्न 23 सुधार की सूचना प्राप्त होने पर मुझे क्या करना होगा है?

उत्तर: सुधार की सूचना प्राप्त होने पर, आपको संबंधित प्राधिकरण द्वारा सूधार के लिए दिए गए सुझावों को अमल में लाना होगा। अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा 14 दिन की न्यूनतम अवधि प्रदान की जाती है।

यदि आप सुधार की सूचना या संबंधित प्राधिकरण के किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अपील कर सकते हैं जिनका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

प्रश्न 24 मेरा लाइसेंस / पंजीकरण निलम्बित हो गया है। इस निलम्बन का प्रतिसंहरण किस प्रकार होगा?

उत्तर: निलम्बन के लिए खाद्य कारोबारी को जारी किए गए सुधार की सूचना में, निलम्बन के आधार का उल्लेख किया जाता है। सुधार की सूचना में दिए गए निदेशों के अनुसार खाद्य कारोबारी को उपचारात्मक उपाय करना अपेक्षित है। खाद्य कारोबारी द्वारा किए गए उपायों से यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट होता है तो वह निरीक्षण करके या बिना निरीक्षण किए निलम्बर वापिस ले लेगा। खाद्य कारोबारी एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 32 (4) के द्वारा सुधार की सूचना के विरुद्ध अपील भी कर सकता है।

प्रश्न 25 फोस्कोस तकनीकी सहायता के लिए कोई खाद्य कारोबारी कहां संपर्क कर सकता है?

उत्तर: खाद्य कारोबारी टोल फ्री हैल्प डेस्क संख्या 1800112100 पर संपर्क कर सकता है या वह helpdesk-foscos@fssai.gov.in. पर अपनी पूछताछ के संबंध में मेल भेज सकता है। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस) के होमपेज पर "आवेदन कैसे करें" प्रदर्शित है, जिसमें केन्द्रीय/राज्य लाइसेंस और पंजीकरण के लिए खाद्य कारोबारी के लिए स्वयं आवेदन करने के लिए एक-एक करके सूचना उपलब्ध करायी गई है।

प्रश्न 26 मेरा आवेदन किस स्तर/स्थिति में है, यह मुझे कैसे पता चलेगा?

उत्तर: आवेदन पर होने वाली कार्रवाई के कई स्तरों पर आवेदक को एसएमएस / ई मेल अलर्ट द्वारा जानकारी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, फोस्कोस पर "आवेदन की स्थिति जानें" का उपयोग करते हुए आवेदक अपने आवेदन के संबंध में स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न 27 वैधता की अवधि समाप्त होने के पश्चात आप अपने लाइसेंस / पंजीकरण का नवीकरण कैसे कराएं?

उत्तर: वैधता की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी खाद्य कारोबारी निम्नलिखित जुर्माना भर कर एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण का नवीकरण करा सकते हैं:

क. वैधता की अवधि समाप्त होने की मूल तारीख के पहले दिन से लेकर 90वें दिन तक की अवधि में विद्यमान वार्षिक लाइसेंस/पंजीकरण शुल्क का तीन गुणा

ख. वैधता की अवधि समाप्त होने की मूल तारीख के 91वें दिन से लेकर 180वें दिन तक की अवधि में विद्यमान वार्षिक लाइसेंस/पंजीकरण शुल्क का अतिरिक्त दो गुणा

देखें एफएसएसएआई का आदेश संख्या 15(31)2020/फोस्कोस/आरसीडी/एफएसएसएआई पार्ट 4 दिनांक 29 अक्तूबर, 2021

प्रश्न 28 ऑनलाइन भुगतान करने के कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?

उत्तर: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन नेट वैंकिंग की सुविधफा के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

प्रश्न 29 किन परिस्थितियों में आवेदन रद्द हो जाएगा?

उत्तर: 30 दिनों के भीतर अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर लाइसेंसिंग अधिकारी आवेदन को रद्द कर सकता है या इस बात से अवगत कराया जा सकता है कि किया गया आवेदन मुनासिब नहीं है और इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता है। लाइसेंस देने से मना करने से पहले, आवेदक को उसकी बात सुनने का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा और मना करने के कारणों को लिखित रुप में रिकार्ड किया जाएगा।

प्रश्न 30 यदि फार्मेसिया और मेडिकल स्टोरों द्वारा स्वास्य पूरक या न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है तो क्या इन्हें एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है?

उत्तर : सभी खाद्य कारोबारी जिसमें फार्मेसियां या मेडीकल स्टेार सम्मिलित हैं, जो स्वास्थ्य पूरक या न्यूस्ट्रास्यूटिकल उत्पादों का विक्रय कर रहे हैं, को एफएसएसएआई का लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की जरुरत है।

प्रश्न 31 किसी कंपनी या संगठन के उसी नाम से किसी खाद्य कारोबार का संचालन एक से अधिक राज्य में करने के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करने की क्या अपेक्षाएं हैं?

उत्तर: यदि किसी खाद्य कारोबारी (एफबीओ) के दो या दो से अधिक राज्यों में उसके खाद्य कारोबार परिसर हैं, तो उसे अपनी प्रत्येक एकक/परिसर के लिए लाइसेंस/पंजीकरण के अतिरिक्त अपने पंजीकृत कार्यालय या मुख्यालय के लिए केन्द्रीय लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है। प्रत्येक एकक/परिसर के लिए उस एकक की क्षमता या कुल बिक्री पर निर्भर करते हुए संबंधित केन्द्रीय या राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों से पृथक लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त किया जाएगा।

इसके अलावा, यदि पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय के परिसर में यदि कोई कोई खाद्य कारोबार की किसी गतिविधि का संचालन किया जाता है तो इस बात का उल्लेख मुख्यालय के लाइसेंस में भी किया जाएगा।

प्रश्न 32 किन परिस्थितियों में, अभिहित अधिकारी (डीओ) द्वारा एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण निलम्बित या रद्द किया जा सकता है?

उत्तर: यदि कोई खाद्य कारोबारी सुधार संबंधी नोटिस की अनुपालना नहीं करता है तो डीओ ऐसे खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) का लाइसेंस निलम्बित कर सकता है।

प्रश्न 33 क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन आने वाली किसी कैटरिंग संस्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित होगा?

उत्तर: हां। कैटरिंग संस्थापनाओं, चाहे वे केन्द्रीय सरकार के अधीन आने वाली कैटरिंग संस्थापनाएं जैसे रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और रक्षा आदि ही क्यों न हों, सभी को एफएसएसएआई से लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है?

प्र.34 हम केवल खाद्य सहयोज्य, इंजाइम, और प्रोसेसिंग एड्स मैन्युफैक्चर करते है। क्या मुझे भी एफएसएसएआई लाइसेंस की आवश्यकता है ?

उत्तर- जी हाँ, मैन्युफैक्चर किए जाने वाले उत्पाद जिन्हें खाद्य श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है (खाद्य उत्पाद श्रेणी - 99) जैसे खाद्य सहयोज्य, इंजाइम, प्रोसेसिंग एड्स, पोषक तत्व, कृत्यकारी खाद्य, फ्लाउरिंग ऐजेन्ट्स, इत्यादि अपने पात्रता मापदंड के अनुसार एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करेंगे।

प्र. 35 क्या शत प्रतिशत निर्यात इकाईयों के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस होना अनिवार्य है ?

उत्तर- जी हाँ, खाद्य उत्पादों के आयात एवं निर्यात दोनो के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस का होना अनिवार्य है। आपको अपनी निर्यात यूनिट हेतु एफएसएसएआई केन्द्रीय लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

प्र. 36 मैं भारत में बिक्री के लिए खाद्य उत्पादों का आयात करना चाहता हूँ। क्या मुझे एफएसएसएआई लाइसेंस की आवश्यकता है ?

उत्तर- जी हाँ, आपको भारत में बिक्री हेतु खाद्य उत्पादों का आयात करने के लिए डीजीएफटी से प्राप्त आयात निर्यात कोड प्रमाणपत्र में उल्लेखित पते पर एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है।

प्र.37 कितने अधिकतम अवधि के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस/ पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर- एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण का आवेदन या नवीनीकरण एक बार में एक वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक किया जा सकता है।

प्र.38 मैं अपने एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण की प्रमाणिकता/वैधता की जाँच कैसे करूँ?

उत्तर- उपभोक्ता या हितधारक फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के माध्यम से एफएसएसएआई लाइसेंसधारी या पंजीकृत खाद्य कारोबारियों की वैधता की जाँच कर सकते है।

यह सूचना एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली (फॉसकॉस) पर उपलब्ध खाद्य कारोबारी खोज सुविधा के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।

प्र.39 एफएसएसएआई लाइसेंस/ पंजीकरण पर क्यू आर कोड का क्या महत्व है?

उत्तर- एफएसएसएआई खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस या पंजीकरण क्यू आर कोड के साथ ऑनलाइन ही प्रदान करती है। स्कैन करने पर यह कोड एफएसएसएआई डाटाबेस पर उपलब्ध एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण का सम्पूर्ण विवरण दर्शाता है जिसके सहारे किसी भी धोखाधड़ी की पहचान की जा सकती है।

प्र.40 क्या मुझे अपने एफएसएसएआई लाइसेंस में उन सभी खाद्य उत्पादों को रजिस्टर करना पड़ेगा जिनकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग मैं अपने खाद्य परिसर में करता हूँ?

उत्तर- खाद्य कारोबारी एफएसएसएआई लाइसेंस पर खाद्य उत्पादों को अनुलेखित करने के बाद ही उन उत्पादों को मैन्युफैक्चर/प्रोसेस कर सकते है। यह स्पष्ट है कि ऐसा न करने पर यह कारोबार लाइसेंस रहित माना जाएगा तथा इस संबंध में एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा।

प्र.41 एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है? एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?

उत्तर- व्यापार श्रेणी के आधार पर ही दस्तावेजों का वर्गीकरण किया गया है। यह सूची एफएसएसएआई के होमपेज पर खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फॉसकॉस) के अन्तर्गत आवश्यक दस्तावेज पर उपलब्ध है।

प्र.42 मेरा खाद्य कारोबार हवाईअड्डे पर स्थित है। मुझे किस प्रकार के एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता होगी तथा इसके लिए कितना शुल्क देना पड़ेगा?

उत्तर- हवाईअड्डे/बंदरगाह पर स्थित खाद्य कारोबारों को केन्द्रीय लाइसेंस की आवश्यकता होगी एवं इसके लिए 7500 रू प्रति वर्ष शुल्क देना पड़ेगा।

प्र.43 संख्या की मदद से एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण श्रेणी की पहचान कैसे की जा सकती है?

उत्तर- एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या 14 अंको की होती है तथा 1 से शुरू होती है जबकि एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण संख्या 2 से शुरू होने वाली 14 अंको की होती है।

प्र.44 मेरा विभिन्न राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या मुझे प्रत्येक यूनिट के लिए अलग-अलग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी या कम्पनी के लिए एक सामान्य लाइसेंस ही पर्याप्त है ?

उत्तर- इस स्थिति में आपको अपनी कम्पनी के मुख्य कार्यालय/रजिस्टर्ड (पंजीकृत) कार्यालय के लिए केन्द्रीय लाइसेंस तथा विशेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए विशिष्ट केन्द्रीय या राज्य लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र (प्रत्येक यूनिट के पात्रता मापदंड के आधार पर) होना चाहिए।

प्र.45 एफएसएसएआई लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए क्या एफएसएसएआई की तरफ से प्रमाणिक सहायक/प्रशिक्षक या परामर्शदाता मौजुद है ?

उत्तर- खाद्य कारोबारों के लाइसेंसिग और पंजीकरण संबंधी मामलों में सहायता प्रदान करने हेतु एफएसएसएआई ने फूड सेफ्टी मित्र (एफएसएम) का एक जाल तैयार किया है। इस योजना के तहत एफएसएसएआई द्वारा डिजीटल मित्रों की पहचान की जाती है तथा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, तत्पश्चात वे लाइसेंसिंग और पंजीकरण हेतु आवेदन करने में खाद्य कारोबारियों की मदद करते है।

एफएसएसएआई द्वारा डिजीटल मित्रों के लिए निम्नलिखित सेवा शुल्क तैयार किए गए है -

(क) रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन / रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के संशोधन / रजिस्ट्रेशन के लिए वार्षिक घोषणा के लिए रू 100 /- शुल्क
(ख) लाइसेंस हेतु आवेदन / लाइसेंस में संशोधन / लाइसेंस के लिए वार्षिक रिर्टन के लिए रू 500 /- शुल्क

प्र. 46 फॉर्म IX में किसी व्यक्ति को मनोनित करने का क्या महत्व है ? क्या खाद्य कारोबार के लिए किसी व्यक्ति को मनोनित करना अनिवार्य है ?

उत्तर- प्रत्येक लाइसेंस धारी खाद्य कारोबारी फॉर्म IX में लाइसेंसिंग अधिकारी को सूचित करेगा तथा उस संस्थान, शाखा, यूनिट के संबंधित प्रमुख या प्रभारी की जानकारी इस प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें कि संबंधित व्यक्ति को इस उद्देश्य से मनोनित किया गया है कि वह एफएसएस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करें।

मालिक को छोड़कर प्रत्येक खाद्य कारोबारी एक व्यक्ति को मनोनित करेगा तथा फार्म IX में लाइसेंसिग अधिकारी को सूचित करेगा।

प्र. 47 क्या मुझे अपने खाद्य कारोबारी गतिविधियों के लिए वार्षिक रिर्टन फाइल करने की आवश्यकता है ?

उत्तर- खाद्य उत्पादों के आयात एवं मैन्युफैक्चरिंग (उत्पादों की रिपैकिंग एवं रिलेबलर सहित अर्थात वे खाद्य कारोबारी जो अपने उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी द्वारा कराते है) में संलग्न एफएसएसएआई लाइसेंस धारी

खाद्य कारोबारी के लिए केवल फॉसकॉस पोर्टल द्वारा प्रत्येक पूर्ववर्ती वित्तिय वर्ष की 31 मई तक फार्म डी 1 में वार्षिक रिर्टन भरकर जमा देना आवश्यक है।

प्र. 48 वार्षिक रिर्टन भरने में विलम्ब करने या नहीं भरने के लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान है ?

उत्तर- प्रत्येक वर्ष 31 मई तक वार्षिक रिर्टन जमा न करने पर प्रतिदिन 100 रू के हिसाब से वार्षिक रिर्टन जमा करने की तिथी तक विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। खाद्य कारोबारियों द्वारा वार्षिक रिर्टन अर्थदंड वित्तिय वर्ष 2020-2021 से लागू फॉसकॉस पोर्टल पर ऑनलाइन ही जमा किया जाएगा। (वित्तिय वर्ष 2020-2021 से लागू)

प्र. 49 क्या मैन्युफैक्चर/प्रसंसकरण में संलग्न सभी खाद्य कारोबारियों को अनिवार्य रूप से अपने परिसर में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना आवश्यक है ?

उत्तर- लाइसेंस की शर्त के अनुसार तेल के उत्पादन / प्रसंस्करण में संलग्न खाद्य कारोबारियों के लिए उत्पादों की विश्लेषणात्मक परीक्षा हेतु परिसर में प्रयोगशाला की सुविधा होनी चाहिए।

इसके अलावा एफएसएसएआई आदेश संख्या 15023 / 02 / 2017 – क्यूए (पीटी - 2) दिनांक 15 अक्तूबर, 2019 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी डेयरी प्रसंस्करण इकाईयाँ आंतरिक नियंत्रण की निगरानी के लिए सैपलिंग (प्रतिचयन), परीक्षण, और निरीक्षण की एक मानक योजना का पालन करेंगी ताकि उपभोक्ताओं की पूर्ती के लिए भेजे जाने वाले दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। प्रतिचयन, परीक्षण और निरीक्षण का विस्तृत विवरण (एफएसएसएआई वेबसाइट पर उपलब्ध) आदेश के साथ संलग्न है। यह योजना 01 जनवरी, 2020 से लागू की गई।

प्र.50 क्या मुझे ग्राहक को बिल / कैश मेमो देना आवश्यक है ?

उत्तर- एफएसएस (खाद्य कारबारों का लाइसेंसिग और रजिस्ट्रेशन) अधिनियम, 2011 की धारा 2.1.14 के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय / व्यापार में संलग्न खाद्य कारोबारी विक्रेता को बिल, कैश, मेमो या लेबल पर या किसी अन्य माध्यम से फार्म ई में उत्पाद की गांरटी प्रदान करेगा।

प्र.51 मेरे खाद्य व्यापार से संबंधित लाइसेंस की अनिवार्य शर्ते क्या - क्या है ?

उत्तर- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबारों का लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन) अधिनियम, 2011 की अनुसूची 2 के अनुबंध 3 में लाइसेंस की कुछ शर्तों को परिभाषित किया गया है जिसका अनुपालन सभी खाद्य कारोबारियों द्वारा हमेशा किया जाना चाहिए। खाद्य कारोबारियों को दिया जाने वाला एफएसएसएआई लाइसेंस (जिस पर क्यूआर कोड छपा होता है) पर लाइसेंस की शर्तें अनुबंधित होनी चाहिए। यह शर्तें खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली के होमपेज पर अथवा फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के 'अप्लाई फॉर लाइसेंस सेक्शन' पर भी उपलब्ध है।

प्र. 52 एफएसएसएआई लाइसेंस में पौष्टिककृत खाद्य के उत्पादन / प्रसंस्करण का उल्लेख या पुष्टि कैसे करें ?

उत्तर- पौष्टिककृत खाद्य (गेहूँ, चावल, दुग्ध, तेल और नमक) का उत्पादन कर रहे खाद्य कारोबारियों के लिए अपने लाइसेंस पर पौष्टिककृत खाद्य के उत्पादन / प्रसंस्करण का उल्लेख करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए वे अपने लाइसेंस पर उत्पादों के प्रयोगशाला परीक्षण की रिर्पोट संलग्न करेंगे।

प्र. 53 मेरे पास एफएसएसएआई लाइसेंस है, क्या मैं पौष्टिककृत खाद्य उत्पाद लेबलों पर +एफ लोगो का प्रयोग कर सकता हूँ ?

उत्तर- किसी खाद्य कारोबारी के पास वैध एफएसएसएआई लाइसेंस होने पर भी उसे अपने लाइसेंस पर पौष्टिककृत खाद्य का उल्लेख करना आवश्यक है। एफएसएसएआई लाईसेंस पर पौष्टिककृत खाद्य की पुष्टि होने के बाद ही खाद्य कारोबारी उत्पादों पर +एफ लोगो का प्रयोग कर सकते है।

प्र. 54 मेरे पास एफएसएसएआई लाइसेंस है, क्या मैं खाद्य उत्पाद लेबलों पर जैविक भारत लोगो का प्रयोग कर सकता हूँ ?

उत्तर- किसी खाद्य कारोबारी के पास वैध एफएसएसएआई लाइसेंस होने पर भी उसे एनपीओपी / पीजीएस - भारत द्वारा प्राप्त उत्पादों के प्रमाणपत्र संलग्न करने के पश्चात अपने लाइसेंस पर जैविक खाद्य की पुष्टि करनी होगी। एफएसएसएआई लाइसेंस पर जैविक खाद्य की पुष्टि होने के बाद ही खाद्य कारोबारी उत्पादों पर +एफ लोगो का प्रयोग कर सकते है।

प्र. 55 क्या दवाखाना एवं जनरल / किराना स्टोर उत्पादों के खुदरा व्यापारियों को एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता है ?

उत्तर - दवाखाना, खुदरा व्यापारियों या अन्य खुदरा इकाईयों के पास एफएसएसएआई लाइसेंस होना आवश्यक है, यदि वे अपने आउटलेट के माध्यम से खाद्य उत्पादों का व्यापार कर रहे है। एफएसएसएआई लाइसेंस / रजिस्ट्रेशन का पात्रता मापदंड foodlicencing.fssai.gov.in पर उपलब्ध है अथवा आप 1800112100 (टोल फ्री) पर भी संपर्क कर सकते है।

प्र. 56 मुझे अपने खाद्य कारोबार की उचित व्यापार श्रेणी या उसके पात्रता मापदंड का पता कैसे चलेगा ?

उत्तर- एफएसएसएआई की लाइसेंसिग वेबसाइट अर्थात www.foodlicencing.fssai.gov.in की होमपेज पर प्रत्येक खाद्य व्यापार श्रेणी के प्रकार की परिभाषा दी गई है। पात्रता मापदंड के लिए एक जाँच भी उपलब्ध है।

प्र.57 आवेदन करने के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलने में कितना समय लगता है ?

उत्तर- आवेदन की तिथी के 7 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन अधिकारी से एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता के परिसर का निरिक्षण करने की स्थिति में आवेदन तिथि के 30 दिनों के भीतर निरीक्षण हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण तभी जारी किया जाता है जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि परिसर में एफएसएस (खाद्य कारबार का लाइसेंसिग और रजिस्ट्रेशन) अधिनियम, 2011 की अनुसूची 4 का पालन किया जा रहा हो।

प्र. 58 आवेदन करने के कितने अधिकतम समय में एफएसएसएआई लाइसेंस मिल जाता है ?

उत्तर- एक आवेदनकर्त्ता द्वारा पूर्ण रूप से आवेदन करने के 60 दिनों के भीतर ही लाइसेंसिग अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।

संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन की जाँच एवं परिसर का निरीक्षण करने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाता है।

प्र. 59 निर्धारित समय - सीमा के अन्दर लाइसेंस जारी न होने पर अथवा लाइसेंसिंग अधिकारी के निर्णय से सहमत न होने पर अथवा आवेदन खारिज होने पर या संबंधित अधिकारी द्वारा लाइसेंस स्थगित / खारिज किए जाने की स्थिती में क्या करना चाहिए ?

उत्तर - यदि आप संबंधित लाइसेंसिग या रजिस्टरिंग अधिकारी के निर्णय से सहमत नहीं है, तो आप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अन्तर्गत अपने राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के पास अपील कर सकते है। सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त का विवरण https://fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety-php पर उपलब्ध है।

केन्द्रीय लाइसेंस आवेदन के खारिज होने की स्थिती में या उसकी प्रक्रिया में विलम्ब होने की स्थिति में आप एफएसएसएआई क्षेत्रीय कार्यालयों के निदेशकों को पत्र लिख सकते है। विवरण https://www.fssai.gov.in/cms/directory.php पर उपलब्ध है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत किए गए अपील के लिए खाद्य कारोबारी अपने मामले मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई के सामने प्रस्तुत करें।

प्र.60 लाइसेंस या पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए कितने दिन पहले आवेदन किया जा सकता है ?

उत्तर- लाइसेंस और पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन 180 दिनों पहले किया जा सकता है।

इसके अलावा खाद्य कारोबारी अपने लाइसेंस / पंजीकरण के नवीनीकरण के आवेदन की समय - सीमा समाप्त होने के 180 दिनों तक कर सकते है। कृपया अधिक जानकारी के लिए प्रश्न संख्या 27 का संदर्भ देखें।

प्र. 61 मेरे एफएसएसएआई लाइसेंस की अवधि / समयावधि अभी समाप्त नहीं हुई है, इसके बावजुद सिस्टम लेट फी की माँग कर रहा है, नए आवेदन से लेट फी किस कारण से और कैसे जुड़ा हुआ है ?

उत्तर- विनियमों के अनुसार पुराने लाइसेंस की समय - सीमा समाप्त होने के 30 दिनों के अन्दर नए लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाना चाहिए ताकि नए लाइसेंस की लेट फी से बचा जा सके। प्रतिदिन 100 रू के हिसाब से लेट फी की गणना कर लाइसेंस के नवीनीकरण शुल्क में जोड़ दिया जाता है अर्थात यदि आप समय - सीमा समाप्त होने की अंतिम तिथी में नए लाइसेंस के लिए आवेदन करते है, तो प्रतिदिन 100 रू के हिसाब से 100 X 30 = 3000 रू आपके लाइसेंस के नवीनीकरण शुल्क में जोड़ दिए जाएंगे।

प्र. 62 मैंने अपना लाइसेंस या पंजीकरण शुल्क / भुगतान ऑफलाइन ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया है। मैं आवेदन कैसे जमा करूँ ?

उत्तर- ऑफलाइन ट्रेजरी चालान के माध्यम से शुल्क / बिल का भुगतान किए जाने पर इसकी एक प्रति खाद्य कारोबारी द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए साथ ही इस प्रति पर 17 अंको वाले संदर्भ संख्या का भी उल्लेख

प्र.63 मेरे एप्लीकेशन की स्थिति के मुताबिक मेरा लाइसेंस या पंजीकरण जारी किया जा चुका है पर मुझे अभी तक कोई भी लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त नहीं हुआ है, कृपया कारण बताएं?

उत्तर- जारी होने के पश्चात् एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण जिसमें क्यू आर कोड भी होता है, खाद्य कारोबारियों की ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। एफएसएसएआई लाइसेंस मनोनीत व्यक्ति की ईमेल आइडी पर भेज दी जाती है। आवेदनकर्त्ता द्वारा दी गई ईमेल आइडी पर एफएसएसएआई पंजीकरण प्रमाणपत्र भी भेज दिया जाता है। लाइसेंस या पंजीकरण से संबंधित मेल प्राप्त न होने की स्थिति में कृपया अपने ईमेल की सही से जाँच करें।

प्र.64 मैं अपना एफएसएसएआई लाइसेंस नवीकरण स्टेटस कैसे देखुँ ?

उत्तर- किसी भी लाइसेंस/पंजीकरण का नवीकरण स्टेटस फॉसकॉस अकाउंट पर अपने आइडी और पॉसवर्ड के द्वारा लॉग इन कर देखा जा सकता है। फॉसकॉस पोर्टल पर अपने आवेदन स्टेटस को ट्रेक करना भी एक विकल्प है।

प्र.65 एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किन अनुमतियों की आवश्यकता पड़ती है?

उत्तर- किसी भी क्षेत्र में खाद्य कारोबार स्थापित करने का निर्णय वहां का जिला/स्थानीय प्रशासन लेता है। एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण हेतु आवेदन करने की कोई पूर्व निर्धारित शर्त नहीं है। हाँलाकि एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी खाद्य कारोबार शुरू करने से पहले उस पर जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी प्रकार से अनुमति ली गई है।

प्र.66 मेरी फॉसकॉस युजर आईडी खो गई है, फॉरगॉट/रिसेट पॉसवर्ड करने पर जो ईमेल आईडी और पॉसवर्ड सामने आता है वह मेरा नहीं है। मैं अपनी फॉसकॉस युजर आईडी पुनः कैसे प्राप्त करूँ?

उत्तर- एफएसएसएआई आदेश संख्या 15(31)2020/फॉसकॉस/आरसीडी/एफएसएसएआई दिनांक 25 नवम्बर,2021 के द्वारा फॉसकॉस में लॉग इन करने के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण संख्या या आवेदन संख्या आधारित युजर आईडी उपलब्ध है। इसके अलावा लाइसेंस/पंजीकरण संख्या या आवेदन संख्या से जुड़ी अपनी प्रमाणिकताएँ अपडेट करने के लिए उपयोगकर्ता आदेश (अनुबंध-ii) में संलग्न एसओपी के अनुसार अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के पास आवेदन कर सकते है। आप एफएसएसएआई हेल्पलाईन @1800112000 पर भी संपर्क कर सकते है।

प्र.67 मैने समय-सीमा समाप्त होने से पूर्व नए आवेदन हेतु अर्जी दी थी पर भुगतान पेज पर अटक गया, तकनीकी खराबी के कारण मैं लाइसेंस/पंजीकरण की समय-सीमा समाप्त होने से पहले नए आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका। मैं अपने अधूरे आवेदन को जमा कैसे करूँ ?

उत्तर- ज्ञातव्य है कि समय-सीमा समाप्त होने के पश्चात् आप नए आवेदन के लिए अर्जी नहीं दे सकते, बहरहाल आपने जिस तकनीकी खराबी का सामना किया है उसका प्रमाण(स्क्रीनशॉट) ईमेल (enforcement1@fssai.gov.in) पर एफएसएसएआई मुख्यालय में भेज सकते है। एफएसएसएआई मुख्यालय में मामले की जाँच के बाद यदि मौजूदा नए आवेदन के साथ आपको आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है तो इस निर्णय के बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा। अन्यथा अनुमति ना मिलने की स्थिति में आपको किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जाएगी और आपके लाइसेंस/पंजीकरण को समाप्त माना जाएरगा।

प्र.68 खाद्य कारोबारों के लिए मेरे पास दो एफएसएसएआई लाइसेंस है, एक राज्य लाइसेंस और दूसरा केंद्रीय। क्या एक स्थान पर एक से अधिक लाइसेंस रखना सही है?

उत्तर- एफएसएसएआई लाइसेंस पूरी तरह से स्थान पर आधारित होता है। किसी भी खाद्य कारोबारी को एक स्थान के लिए एक से अधिक लाइसेंस रखने की अनुमति नहीं है।

एक स्थान से प्राप्त एक लाइसेंस से ही सभी प्रकार के कारोबार जुड़े हुए होने चाहिए। यदि किसी के पास एक राज्य और एक केंद्रीय लाइसेंस है तो राज्य लाइसेंस जमा करवा देना चाहिए और केंद्रीय लाइसेंस में सुधार के लिए आवेदन करना चाहिए ताकि राज्य लाइसेंस में उल्लेखित व्यापार श्रेणी केंद्रीय लाइसेंस में भरा जा सके।

प्र.69 मैं आयातक देशों के लिए खाद्य सामग्रियों का उत्पादन करना चाहता हूँ। खाद्य उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और सहयोज्य) विनियम,2011 में दिए गए मानकों पर खरे नहीं उतरते, क्या ऐसे उत्पादों के विनिर्मान (मैन्युफैक्चर) की अनुमति है?

उत्तर- निर्यात के लिए भेजे जाने वाले खाद्य उत्पादों के लिए अनिवार्य है कि वे आयात देशों के मानक का अनुसरण करें।

ये खाद्य कारोबारी संबंधित लाइसेंसिग अधिकारी को यह सूचित कर दें कि वे भारतीय बाजार में ऐसे उत्पादों का प्रदर्शन ना करें जब तक एफएसएसएआई मुख्यालय से ऐसे उत्पादों के लिए पहले से अनुमति ना ले लें।

प्र.70 मेरे मैनुफेक्चरिंग युनिट की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने के कारण अब मैं केन्द्रीय लाइसेंस के लिए योग्य हो गया हूँ। मैं इस उत्पादन क्षमता को अपडेट कैसे करूँ?

उत्तर- किसी मैनुफेक्चरिंग युनिट की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने की स्थिति में लाइसेंस मॉडीफिकेशन ऐपलीकेशन के माध्यम से संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी से सम्पर्क किया जाना चाहिए।

इसके अलावा यदि उत्पादन क्षमता में परिवर्तन का प्रभाव लाइसेंस मापदंड अर्थात राज्य से केन्द्रीय लाइसेंस पर पड़ता है तो खाद्य कारोबारी राज्य लाइसेंस जमा करवा कर केन्द्रीय लाइसेंस के लिए आवेदन करें।

प्र.71 मेरे उत्पादों का उत्पादन थर्ड पार्टी द्वारा किया जाता है। क्या मुझे एफएसएसएआई लाइसेंस की आवश्यकता है? यदि हाँ तो ऐसे कारोबारो के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु किस व्यापार श्रेणी के लाइसेंस की आवश्यकता है?

उत्तर- थर्ड पार्टी के माध्यम से अपने उत्पादों का विनिर्माण (मैन्युफैक्चर) करने वाले खाद्य कारोबारियों के लिए रिलेबलर कारोबार श्रेणी (केओबी) के अन्तर्गत एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।

पात्रता मापदंड औसत उत्पादन क्षमता या उन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों जहाँ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर स्थापित है के आधार पर किया जाना चाहिए।

प्र.72 क्या वाइन / शराब की खुदरा दुकानों के लिए एफएसएसआई लाइसेंस आवश्यक है?

उत्तर- अल्कोहल खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(एन) की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। अल्कोहल से किसी भी तरह से संबंधित खाद्य कारोबारी के पास एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण आवश्यक

है। इसके लिए https://fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php पर उपलब्ध खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहलीय बीवरेज) विनियम,2018 का संदर्भ देख सकते है।

प्र.73 क्या जल/फूड एटीएम, वेंडिग मशीन के पास एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण होना आवश्यक है?

उत्तर- जल/फूड एटीएम, वेंडिग मशीन की मूल इकाई एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त कर उन सभी स्थानों को सूचित करेगी जँहा ये मशीन या वेंडिग मशीने लगी हुई है।

प्र.74 शादियों, पार्टियों में केटरिंग करने वाले केटरर के पास एफएसएसएआई लाइसेंस होना आवश्यक है?

उत्तर- जी हाँ, पात्रता मापदंड के अनुसार केटरर के पास एफएसएसएआई लाइसेंस होना आवश्यक है।

प्र.75 प्रसाद बाँटने, भंडारे या लंगर का आयोजन करने वाले मंदिरों को एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है?

उत्तर- जी हाँ, पात्रता मापदंड के अनुसार मंदिरों के पास एफएसएसएआई लाइसेंस होना आवश्यक है।

प्र.76 अतिरिक्त या बचे हुए खाद्य का वितरण करने वाले एनजीओ के पास एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण होना आवश्यक है?

उत्तर- जी हाँ, पात्रता मापदंड के अनुसार एनजीओ के पास एफएसएसएआई लाइसेंस होना आवश्यक है।

प्र.77 क्लाउड किचन (जहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं होती) के पास एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण होना आवश्यक है?

उत्तर- जी हाँ, पात्रता मापदंड के अनुसार क्लाउड किचन के पास एफएसएसएआई लाइसेंस होना आवश्यक है।

प्र.78 ई-कामर्स खाद्य कारोबारियों की श्रेणी में किन खाद्य कारोबारियों को रखा जाता है?

उत्तर- एफएसएस अधिनियम,2006 की धारा 3(एन) में दी गई परिभाषा के अनुसार वे खाद्य कारोबारी जो लेनदेन या विक्रय या गतिविधि के लिए मंच प्रदान करते है, उनके पास ई-कामर्स श्रेणी का लाइसेंस होना अनिवार्य है। ऐसे लाइसेंस के लिए मुख्य कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय के पते पर आवेदन किया जाना चाहिए।

प्र.79 केवल खाद्य कारोबारियों की सूची प्रदान करने वाले ऑनलाइन मंच के पास एफएसएसएआई लाइसेंस होना अनिवार्य है?

उत्तर- ऐसा मंच जो एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 3(एन) में उल्लेखित किसी गतिविधि में शामिल नहीं है परन्तु केवल खाद्य कारोबारियों की सूची तैयार करता है, उसे एफएसएसएआई लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँलाकि यह आवश्यक है कि वे उन खाद्य कारोबारियों की सूची रखें जिनके पास वैध एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण है।

प्र.80 अपने ई-कामर्स/ऑनलाइन मंच के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचने वाले खाद्य कारोबारियों के पास ई-कामर्स के अन्तर्गत एफएसएसएआई लाइसेंस होना अनिवार्य है?

उत्तर- जी हाँ, अपने ई-कामर्स/ऑनलाइन मंच के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचने वाले खाद्य कारोबारियों के पास ई-कामर्स के अन्तर्गत भी एफएसएसएआई लाइसेंस होना अनिवार्य है।

प्र.81 क्या प्रत्यक्ष विक्रेताओं को एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती ?

उत्तर- नहीं, प्रत्यक्ष विक्रेताओं के पास भी एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण होना अनिवार्य है। केवल उस स्थिति में जहाँ मुख्य प्रत्यक्ष विक्रेता ने सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं की जिम्मेदारी लिखित में ले ली हो, वहाँ प्रत्यक्ष विक्रेताओं को एफएसएसएआई पंजीकरण प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। एफएसएसएआई लाइसेंस की श्रेणी में आने वाले प्रत्यक्ष विक्रेताओं को सभी स्थिति में लाइसेंस लेने की आवश्यकता है।

प्र.82 क्या मालिकाना खाद्य हेतु प्रयुक्त लाइसेंस 24-36 महीने के शिशुओं के लिए उपलब्ध फार्मूले से तैयार पूरक के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है ?

उत्तर- दिनांक 18 अक्तूबर, 2019 को जारी एफएसएसएआई आदेश 15(15) 2018/सीएलएएस/आरसीडी/एफएसएसएआई की श्रेणी 13.2, शिशुओं एवं छोटे बच्चों के लिए पूरक खाद्य के अनुसार मालिकाना खाद्य हेतु प्रयुक्त लाइसेंस 24-36 महीने के शिशुओं के लिए उपलब्ध फार्मूले से तैयार पूरक के लिए भी उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।

प्र.83 किन खाद्य कारोबारियों को रिपैकर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ?

उत्तर- रिपैकिंग का अर्थ है, खाद्य उत्पादों को थोक पैकेज से निकालकर छोटे-मोटे प्रसंस्करण जैसे छंटाई, श्रेणीबद्ध ,मरम्मत एवं लेबलिंग करने के पश्चात विभिन्न आकारों में फिर से पैक करना। खाद्य उत्पाद में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसके फार्मूलेशन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता।

एक रिपैकर विश्वस्त उत्पादक होता है और एफएसएस(खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में उल्लेखित सभी प्रावधानों का भली-भाँति पालन करता है।

प्र.84 किन खाद्य कारोबारियों को रिलेबलर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ?

उत्तर- रिबेलर एक विश्वस्त उत्पादक होता है तथा अनुसूची 4 में दिए गए सभी शर्तों का पालन करता है। एक रिलेबलर स्वंय उत्पादन न करके थर्ड पार्टी से उत्पादन के लिए समझौता/संविदा कर लेता है।

प्र.85 क्या एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी स्टार-रेटिंग प्रमाणपत्र की आवश्यकता है ?

उत्तर- दिनांक 4 फरवरी,2019 को जारी एफएसएसएआई आदेश 12(1)2019/होटल एवं रेस्तराँ संगठन/आरसीडी/एफएसएसएआई के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए होटलों को स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

होटल के पास पहले से पर्यटन मंत्रालय (एचआरएसीसी) से प्राप्त स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र मौजूद रहने की स्थिति में खाद्य कारोबारी के लिए उसे अपलोड करना आवश्यक है, अन्यथा खाद्य कारोबारी को एक स्वंय घोषित प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि उसने पर्यटन मंत्रालय (एचआरएसीसी) से स्टार रेटिंग

प्रमाण पत्र का विकल्प नहीं चुना था। एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त बिना स्टार रेटिंग वाले होटलों को एक और दो सितारा होटलों के साथ श्रेणीबद्ध किया गया है। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय द्वारा रेटेड पाँच सितारा और उससे ऊपर के होटलों के लिए केन्द्रीय लाइसेंस तथा अन्य होटलों के लिए राज्य लाइसेंस/पंजीकरण आवश्यक है।

प्र.86 क्या एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए केन्द्रिय भू जल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ?

उत्तर- जी हाँ, यदि कोई खाद्य कारोबारी अपने कारोबार के लिए भूमिगत जल निकाल रहा हो (जो सघन क्षेत्र में स्थित हो) तो उसे एफएसएसएआई लाइसेंस से पहले केन्द्रीय भु जल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। कृपया दिनांक 02.01.2018 आदेश संख्या 5(9)2017/सीएलए/डीओ मुम्बई/आरसीडी/ एफएसएसएआई का अवलोकन करें।

प्र.87 क्या दुग्ध विक्रेता/दुध वाले के पास एफएसएसएआई लाइसेंस होना आवश्यक है, चाहे वह सीधे उपभोक्ता को ही दुध क्यों न बेच रहा हो ?

उत्तर- जी हाँ, प्रति वर्ष 12 लाख तक के दुध/दुध उत्पादों का विक्रय करने वाले सभी दुग्ध विक्रेताओं/दुध वाले के पास एफएसएसएआई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। 12 लाख प्रति वर्ष से अधिक की बिक्री पर उनके पास एफएसएसएआई लाइसेंस होना आवश्यक है।

प्र. 88 क्या एक प्रशितित केन्द्र/दुग्ध संग्रहण केन्द्र के पास एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण होना आवश्यक है ?

उत्तर- जी हाँ, एक प्रशितित केन्द्र दुग्ध संग्रहण केन्द्र के पास इस आधार पर एफएसएसएआई लाइसेंस पंजीकरण आवश्यक है कि वह कितने परिमाण में दुग्ध का व्यापार करता है।

एक सेन्ट्रलाइज्ड दुग्ध प्रशितित/संग्रहण केन्द्र के पास एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त होने की स्थिति में विशिष्ट लघु प्रशितित केन्द्रों (ग्रामीण स्तर पर स्थापित) को अलग से एफएसएसएआई द्वारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यह सेन्ट्रलाइज्ड दुग्ध प्रशितित/संग्रहण केन्द्र का दायित्व है कि वह इन केन्द्रों के एफएसएसएआई अधिनियम, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करवाएं।

प्र.89 किसी कॉपरेटिव सोसाइटी को अपने उत्पादन का सम्पूर्ण हिस्सा बेचने वाले दुग्ध विक्रेता/दुधवाले को भी एफएसएसएआई लाइसेंस की आवश्यकता है ?

उत्तर- यदि कोई दुग्ध विक्रेता दुधवाला किसी कॉपरेटिव सोसाइटी को अपने उत्पादन का सम्पूर्ण हिस्सा बेचता है तो उसे एफएसएसएआई पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में कॉपरेटिव सोसाइटी को एफएसएसएआई लाइसेंस की आवश्यकता है।

प्र.90 किसी केन्द्रीय / राज्य सरकार कार्यालय / शिक्षण संस्थान / भवन / अस्पताल / जेल या समतुल्य संस्थान में स्थित कैंटिन के लिए राज्य या केन्द्रीय में से किस लाइसेंस की आवश्यकता है ?

उत्तर- किसी भी केन्द्रीय / राज्य सरकार संगठन में स्थित कैंटिन को चलाने वाली किसी निजी खाद्य कारोबारी को खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली के होमपेज पर उपलब्ध पात्रता मापदंड के अनुसार राज्य लाइसेंस केन्द्रीय लाइसेंस / पंजीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है।

यदि केन्द्रीय राज्य सरकार संगठन संस्थान में स्थित कैंटिन स्वंय केन्द्रीय सरकार संस्था द्वारा चलाया जाता है, तो उस स्थिति में लाइसेंस पंजीकरण के लिए दिया जाने वाला ऑनलाइन आवेदन खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली या खाद्य सुरक्षा कनेक्ट ऐप पर दिए गए मापदंड के अनुसार किया जाना चाहिए। यह मापदंड नीचे दिया जा रहा है-

प्रकार	पात्रता मापदंड	शुल्क
1) केन्द्रीय पंजीकरण	कैंटिन की वार्षिक आमदनी 12 लाख तक होने पर	शुल्क रू 100
2) केन्द्रीय लाइसेंस	कैंटिन की वार्षिक आमदनी 12 लाख से अधिक होने पर	शुल्क रू 200

प्र.91 मेरा एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या बदल गया है, क्या मैं अपने पुराने एफएसएसएआई लाइसेंस नम्बर का प्रयोग पहले से मुद्रित पैकेजिंग सामग्री पर कर सकता हूँ?

उत्तर- नाम, पता या लाइसेंस संख्या बदलने की स्थिति में आपको पहले से मुद्रित पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग करने की अनुमति की आवश्यकता होगी जिसके लिए आप आवेदन कर सकते है। निर्धारित शुल्क के साथ अनुमति प्रस्ताव एफएसएसएआई मुख्यालय को भेजा जाना चाहिए। कृपया वेबसाइट (www.fssai.gov.in) पर उपलब्ध क्रमशः दिनांक 23.11.2016 और 14.11.2017 के 12(2)2016/एफबीओ रिप्रेजेन्टेशन/इएनएफ/एफएसएसएआई तथा 12(2)2017/एफबीओ रिप्रेजेन्टेशन/इएनएफ/एफएसएसएआई आदेशों का अवलोकन करें।

प्र. 92 मैं किसी खाद्य कारोबारी के विरूद्ध अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता हूँ?

उत्तर- आप खाद्य से संबंधित अपनी शिकायत एफएसएसएआई की कनेक्ट पोर्टल पर दर्ज करा सकते है। इसके अलाव आप फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते है। दर्ज कराया गए प्रत्येक शिकायत की एक विशिष्ट संख्या होती है जिसके सहारे कोई उस शिकायत की स्थिति का जायजा ले सकते है।

प्र.93 क्या आयतक को लाइसेंस की आवश्यकता है, अगर हाँ, तो कौन सी?

उत्तर- जी हाँ, सभी आयतकों को आयात श्रेणी के अन्तर्गत एफएसएसएआई केन्द्रीय लाइसेंस की आवश्यकता है।

प्र.94 मेरे पास पहले से एफएसएसएआई राज्य लाइसेंस मौजुद है, क्या मैं इसी लाइसेंस पर खाद्य उत्पादों का आयात कर सकता हूँ ?

उत्तर- प्रश्न संख्या 93 के संदर्भ में भारत में खाद्य उत्पादों के आयात के लिए खाद्य कारोबारियों को आयातक श्रेणी के अन्तर्गत केन्द्रीय लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।

यदि आपके पास पहले से एफएसएसएआई राज्य लाइसेंस मौजुद है तो आयातक व्यापार शामिल करने के लिए आप परिवर्तन शुल्क एवं राज्य और केन्द्रीय लाइसेंस के बीच की राशि देकर अपने राज्य लाइसेंस को केन्द्रीय लाइसेंस

बना सकते है। इसके अलावा दिनांक 31 मई, 2021 के एफएसएसएआई आदेश संख्या 15(31)2020/फॉसकॉस/आरसीडी/एफएसएसएआई का अवलोकन करें।

प्र.95 एफएसएस (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की धारा 2.1.13(1) में विनिर्दिष्ट वार्षिक रिर्टन के संदर्भ में 'संचालित खाद्य उत्पाद' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर- यहाँ संचालित खाद्य उत्पाद का अर्थ है- वह खाद्य गतिविधि जिसके लिए एफएसएसएआई लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

- व्यापार (एफएसएसएआई लाइसेंस) उत्पादक/रिपैकर/रिलेबलर से संबंधित होने पर 'संचालित खाद्य उत्पाद' से अभिप्राय पिछले वित्तिय वर्ष के दौरान थर्ड पार्टी उत्पादकों द्वारा रिपैकिंग सहित उत्पादित एवं प्रसंस्कृत सामग्री जो एफएसएसएआई लाइसेंस के तहत आते है, उन सभी खाद्य उत्पादों से है।
- इसी प्रकार व्यापार (लाइसेंस में) आयातक होने पर संचालित खाद्य उत्पाद से अभिप्राय खाद्य कारोबारियों द्वारा पिछले वित्तिय वर्ष के दौरान आयात किए गए खाद्य उत्पादों से होगा।

वर्तमान में अन्य सभी प्रकार के व्यापारों (जैसे वितरकों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, भंडारण, परिवहकों और खाद्य सेवाओं इत्यादि) के लिए वार्षिक रिर्टन जमा करने का प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।

प्र.96 मेरे पास खाद्य सामग्रियों के उत्पादन के लिए एफएसएसएआई पंजीकरण प्रमाणपत्र मौजुद है, क्या मुझे वार्षिक रिर्टन जमा करने की आवश्यकता है ?

उत्तर- जी नहीं, छोटे खाद्य कारोबारी जिनके पास एफएसएसएएआई पंजीकरण प्रमाणपत्र (2xxxxxxxxxxxxx) है उन्हें वार्षिक रिर्टन जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्पादन एवं खाद्य उत्पादों के आयात में संलग्न केवल एफएसएसएआई लाइसेंस धारकों को ही फॉर्म डीआई में वार्षिक रिर्टन जमा करने की आवश्यकता है (प्रश्न संख्या 47 का संदर्भ)

प्र. 97 मैं फूड ट्रक के माध्यम से अपनी खाद्य/केटरिंग सेवा प्रारम्भ करना चाहता हूँ, एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा खाद्य श्रेणी/व्यापार उचित होगा ?

उत्तर- फूड ट्रक 'फूड वेडिंग संस्थान' के अन्तर्गत आता है, आपको 'फूड वेडिंग संस्थान' का चयन करने के बाद 1 से लेकर 16 की श्रेणी में उचित खाद्य उत्पाद श्रेणी का चयन करना है। उदाहरणस्वरूप एफपीसी 16 तैयार खाद्य के लिए प्रयोग होता है।

प्र. 98 खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की धारा 10.1.2 अर्थात अनुसूची IV (भाग II) के अन्तर्गत स्वास्थ्य स्तर का पालन करते हुए एक वर्ष में संस्थान के खाद्य संचालकों/कर्मचारियों की मेडिकल जाँच की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी भी संक्रामक या अन्य किसी संचारी रोग के शिकार नहीं है। यह जाँच एक वित्तिय वर्ष या कैलेन्डर वर्ष में होनी चाहिए ?

उत्तर- धारा 10.1.2 के अनुसार मेडिकल जाँच एक वित्तिय वर्ष में होनी चाहिए। खाद्य कारोबारी अपने खाद्य संचालकों/कर्मचारियों की मेडिकल जाँच एक वित्तिय वर्ष में कभी भी करा सकते है। इसके अलावा नए खाद्य कारोबार में नए कर्मचारियों की मेडिकल जाँच पहले या नियुक्ति के समय की जानी चाहिए।

प्र.99 अनुबंध 3 के बिंदु संख्या 12 के अनुसार लाइसेंस की शर्ते, खाद्य उत्पादों में प्रासंगिक रासायनिक और सूक्ष्मजैविक संदूषकों की जाँच स्वंय या एनएबीएल मान्यता प्राप्त या एफएसएसएआई अधिसूचित प्रयोगशालाओं द्वारा कम से कम छः महीने में एक बार किया जाना चाहिए। ये छः महिने वर्ष के किस महीने से प्रारंभ होने चाहिए ?

उत्तर- लाइसेंस की शर्त संख्या 12 के अनुसार खाद्य उत्पादों का परीक्षण उत्पादकों के द्वारा वित्तीय वर्ष अर्थात अप्रैल से सितम्बर तक की पहली छमाही और अक्तूबर से मार्च तक की छमाही में ऐसे किया जाना चाहिए कि दो परीक्षण के मध्य कम से कम तीन महीने का अंतर हो। इसके अलावा इस संबंध में दिनांक 08 जुलाई, 2021 को जारी आदेश संख्या 15(31) 2020/फॉसकॉस/आरसीडी/एफएसएसएआई का अवलोकन करें।

प्र.100 मिनरल वॉटर या पैकेज्ड पीने के पानी हेतु एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आवेदन पावती या बीआईएस लाइसेंस जमा करना अनिवार्य है ?

उत्तर- जी हाँ, पैकेज्ड ड्रिंकिग वॉटर या मिनरल वॉटर हेतु लाइसेंस प्राप्ति के लिए खाद्य कारोबारियों को अनिवार्य रूप से बीआईएस लाइसेंस की प्रति या ऐसे पत्र की प्रति जिसमें नए एफएसएसएआई लाइसेंस हेतु आवेदन करते समय बीआईएस लाइसेंस के आवेदन के समय की रिर्काडिंग मौजुद हो फॉसकॉस की ऑनलाइन प्रणाली पर अपलोड करना आवश्यक है। एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्ति के लिए व्यापार के आधार पर सम्पूर्ण दस्तावेजों की सूची फॉसकॉस के होमपेज पर उपलब्ध है।

प्र.101 क्या खाद्य कारोबारियों को पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर या मिनरल वाटर हेतु नए लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय बीआईएस लाइसेंस जमा करना आवश्यक है ?

उत्तर- जी हाँ, खाद्य कारोबारियों को पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर या मिनरल वाटर हेतु लाइसेंस नवीनीकररण के लिए आवेदन करते समय बीआईएस लाइसेंस जमा करना आवश्यक है।

प्र.102 क्या लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय वार्षिक रिर्टन जमा करना आवश्यक है ?

उत्तर- लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान वार्षिक रिर्टन जमा करना अनिवार्य नहीं है। पूर्ववर्ती वित्तिय वर्ष का वार्षिक रिर्टन प्रति वर्ष 31 मई तक जमा करना आवश्यक है, ऐसा ना करने पर 100 रू प्रति दिन के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान है।

प्र.103 क्या मैं वार्षिक रिर्टन ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जमा करा सकता हूँ ?

उत्तर- वित्तिय वर्ष 2020-21 से खाद्य कारोबारी अपना वार्षिक रिर्टन ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फॉसकॉस- https://foscos.fssai.gov.in) के माध्यम से जमा करा सकते है। वार्षिक रिर्टन जमा करने का कोई ऑफलाइन माध्यम (स्वंय या ईमेल के माध्यम से) स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कृपया

एफएसएसएआई आदेश 15(31)2020/फॉसकॉस/आरसीडी/एफएसएसएआई दिनांक 18 दिसम्बर,2020 का अवलोकन करें।

प्र. 104 मैं दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का व्यापारी हूँ। क्या मुझे अर्द्धवार्षिक रिर्टन जमा करने की आवश्यकता है?

उत्तर - वित्तिय वर्ष 2020-21 से एफएसएसएआई ने दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद में संलग्न खाद्य व्यापारियों के लिए अर्द्धवार्षिक रिर्टन (फार्म डी 2) जमा करने का प्रावधान जारी नहीं रखा है। हाँलाकि ऐसे खाद्य व्यापारियों को फॉसकॉस के माध्यम से वार्षिक रिर्टन (फार्म डी 1) जमा करना आवश्यक है। इस संबंध में कृपया एफएसएसएआई आदेश 15(31)2020/फॉसकॉस/आरसीडी/एफएसएसएआई दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 का अवलोकन करें।

प्र. 105 स्व-रद्य आवेदन के पुनः सक्रीयकरण हेतु अनुरोध कैसे किया जाता है?

उत्तर- लाइसेंस या पंजीकरण के लिए स्व-रद्य आवेदन के पुनः सक्रीयकरण हेतु खाद्य कारोबारी ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा अनुपालन पोर्टल (फॉसकॉस- https://foscos.fssai.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन अनुरोध कर सकते है। यह एसओपी पत्र संख्या 11(9)/2020/एमआईएससी/रिप्रेजेनटेशन/आरसीडी/एफएसएसएआई दिनांक 15 दिस्मबर 2020 के माध्यम से प्रदान की गई है तथा एफएसएसएआई वेबसाईट/फॉसकॉस पोर्टल होमपेज पर उपलब्ध है।

प्र.106 क्या लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय खाद्य श्रेणी 13 (विशिष्ट पोषण के लिए प्रयुक्त खाद्य) मालिकाना खाद्य के अन्तर्गत आता है?

उत्तर- नहीं, मालिकाना खाद्य के अन्तर्गत विशेष परहेजी खाद्य, चिकित्सिय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त खाद्य, कृत्यकारी खाद्य, न्युट्रास्युटिकल्स, स्वास्थ्य पूरक एवं अन्य ऐसे खाद्य उत्पाद शामिल नहीं है जिसे केन्द्रीय सरकार इस संबंध में अधिसूचित कर सकती है। अतः खाद्य उत्पाद श्रेणी 13 के लिए मालीकाना खाद्य के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता।

प्र. 107 क्या लाइसेंस या पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों का स्व - साक्ष्यांकण आवश्यक है?

उत्तर- जी हाँ, लाइसेंस या पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले सभी उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से दस्तावेजों का प्राधिकृत/मालिक द्वारा स्व - साक्ष्यांकण आवश्यक है।

प्र.108 लाइसेंस/पंजीकरण शुल्क का भुगतान करते समय त्रुटिपूर्ण/अलग भुगतान की वापसी/प्रतिदेय कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

उत्तर- खाद्य कारोबारी लाइसेंस/पंजीकरण शुल्क एवं एसओपी का भुगतान करते समय त्रुटिपूर्ण/गलत भुगतान की वापसी/प्रतिदेय अपने एफएसएसएआई खाते में प्राप्त कर सकते है। इसकी याचिका की आवेदन की प्रक्रिया फॉसकॉस पोर्टल पर उपलब्ध है। खाद्य कारोबारी लाइसेंस/पंजीकरण शुल्क एवं एसओपी का भुगतान करते समय त्रुटिपूर्ण/गलत या नकली भुगतान की याचिका केवल भुगतान की तारिख से 15 दिनों के बाद ही कर सकते है।

प्र.109 मैं ई- कामर्स व्यवसाय के अन्तर्गत बीवरेज श्रेणी (खाद्य उत्पाद श्रेणी -14) हेतु एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा हूँ। क्या लाइसेंस प्राप्त करने के बाद मैं शराब का विक्रय भी कर सकता हूँ?

उत्तर- ई- कामर्स व्यवसाय के अन्तर्गत बीवरेज श्रेणी (खाद्य उत्पाद श्रेणी -14) हेतु एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले खाद्य कारोबारी को ऑनलाइन शराब ना बेचने का स्व - घोषणा जमा करना पड़ेगा।

हाँलाकि यदि कोई खाद्य कारोबारी ई - कामर्स के माध्यम से शराब का व्यापार करना चाहता है तो लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय उसे संबंधित राज्य उत्पाद शुल्क विभाग से प्राप्त अनापत्ती प्रमाण-पत्र जमा करना पड़ेगा।

प्र.110 यदि मैं अंतिम चरण वितरक या प्रत्यक्ष विक्रेता या फूड वैंडिंग मशीन, वाटर वैंडिंग मशीन, फूड एटीएम या ब्रैंडेड फूड कार्ट का मालिक हूँ तो क्या मुझे एफएसएसएआई पंजीकरण/ रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है?

उत्तर- अंतिम चरण वितरक या प्रत्यक्ष विक्रेता या फूड वैंडिंग मशीन, वाटर वैंडिंग मशीन, फूड एटीएम या ब्रैंडेड फूड कार्ट का एकलौते/मुख्य मालिक को एफएसएसएआई पत्र संख्या 15(6)2018/एफएलआरएस/आरसीडी/एफएसएसएआई दिनांक 8 जुलाई 2019 तथा 19 सितम्बर,2019 में दिए गए शर्तों के अनुसार पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

प्र.111 क्या ई - कामर्स खाद्य कारोबारियों को राज्य / शहर के उप - मुख्य कार्यालयों से एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है?

उत्तर- नहीं, एफएसएस अधिनियम की धारा 3(एन) के अन्तर्गत यदि कोई खाद्य व्यापारिक गतिविधि न हो तो ऐसी स्थिति में सभी राज्यों में ई - कामर्स खाद्य व्यापार के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस का आवश्यकता नहीं है। हाँलाकि ई - कामर्स खाद्य व्यापारी (दो या दो से अधिक राज्यों से कार्य करने वाले) का एक मुख्य कार्यालय लाइसेंस होना चाहिए और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने राज्य/शहर के अनुसार उप-कार्यालयों की जाँच करें। मुख्य कार्यालय के ई - कामर्स खाद्य कारोबारियों को जारी एफएसएसएआई लाइसेंस की एक प्रति उप - कार्यालयों के परिसर में विशिष्ट स्थानों पर भी लगी होनी चाहिए।

[30 सितम्बर, 2021 को निम्नलिखित एफएक्यू जोड़े गए]

प्र.112 खाद्य उत्पादों की बिक्री पर खाद्य व्यापारियों द्वारा रशीद/इनवॉयस/केश मेमो/बिल इत्यादि पर एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है?

उत्तर- जी हाँ, खाद्य उत्पादों की बिक्री पर खाद्य व्यापारियों द्वारा रशीद/इनवॉयस/केश मेमो/बिल इत्यादि पर 14 अंको वाले एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। परन्तु किसी खाद्य संचालक द्वारा लेनदेन के दो दस्तावेज जारी करने की स्थिति में जैसे परिवहक परिवहन चालान के साथ-साथ एक इनवॉयस भी जारी करता है तो उस स्थिती में दोनो दस्तावेजों पर एफएसएसएआई संख्या का होना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर जीएसटी ई-वे बिल या सिस्टम द्वारा जारी अन्य ऐसे सरकारी दस्तावेज भी कार्य में लाए जा सकते है। कृपया एफएसएसएआई आदेश दिनांक 8 जून, 2021 15(31)2020/फॉसकॉस/आरसीडी/एफएसएसएआई का संदर्भ अवश्य देखें।

प्र.113 खाद्य उत्पादों की सप्लाई से जुड़े होने पर कौन सी श्रेणी उचित है?

उत्तर- खाद्य उत्पादों के सप्लाई में संलग्न खाद्य कारोबारी वितरकों और/या थोक विक्रेता और/या परिवहक श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन कर सकते है।

प्र.114 यदि मैं अपने खाद्य उत्पाद थर्ड पार्टी द्वारा मैन्युफैक्चर करता हूँ तो उसके लिए कौन सी श्रेणी उचित रहेगी ?

उत्तर- एफएसएसएआई आदेश 1(5)/इएनएफ-1/एफएसएसएआई/2012 दिनांक 01.04.2013 के अनुसार थर्ड पार्टी द्वारा मैन्युफैक्चर करने वाला खाद्य कारोबारी रिलेबलर श्रेणी के अन्तर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे।

प्र. 115 मेरे पास सप्लाईर और/या विपणक व्यापार श्रेणी के अन्तर्गत एफएसएसएआई लाइसेसं या पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन है परन्तु वर्तमान में यह ऑनलाईन प्रणाली फॉसकॉस में कार्य करने में असमर्थ है, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए ?

उत्तर- 16 सितम्बर,2021 के बाद से अपने अतिव्यापि गतिविधि के कारण सप्लाईर और/या विपणक व्यापार श्रेणी हटा ली गई है। सप्लाईर और/या विपणक व्यापार श्रेणी के अन्तर्गत मौजूदा एफएसएसएआई लाइसेंस का नवीकरण समान व्यापार श्रेणी के अन्तर्गत किया जा सकता है, परन्तु इसके लिए अगले संशोधन के दौरान लाइसेंस या पंजीकरण का संशोधन करते समय उचित व्यापार श्रेणी का चयन करना आवश्यक है।

प्र. 116 यदि कोई खाद्य कारोबारी घरेलू के साथ-साथ निर्यात बाजार हेतु खाद्य उत्पादों के उत्पादन/व्यवसाय में संलग्न है तो उसे किस उचित श्रेणी में एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए ?

उत्तर- घरेलू के साथ-साथ निर्यात बाजार हेतु खाद्य उत्पादों के उत्पादन/व्यवसाय में संलग्न खाद्य कारोबारी उचित व्यापार श्रेणी के लिए मैन्यूफैक्चरिंग मुख्य समूह या निर्यातक व्यापार श्रेणी के अन्तर्गत एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है। समान जगहों से संचालन करने पर फॉसकॉस के माध्यम से केवल एक लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाना चाहिए।

[1 दिसम्बर, 2021 को निम्नलिखित एफएक्यू जोड़े गए]

प्र.117 ई - कामर्स मालिक या खाद्य कारोबारी कौन होते है ?

उत्तर- ई - कामर्स मालिक या खाद्य कारोबारी वे व्यक्ति होते हैं जो इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के मालिक होते हैं तथा इसका संचालन कर डिजिटल या इलेक्ट्रानिक सुविधा या मंच का प्रबंध करते है परन्तु बाजारीय ई - कामर्स पर किसी विक्रेता को अपने माल या सेवा की बिक्री के लिए आमंत्रित या शामिल नहीं करते तथा यहाँ माल एवं सेवाएँ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(जे) और 3(एन) में क्रमशः दी गई खाद्य और खाद्य व्यापार की परिभाषा के अनुसार है।

प्र.118 वर्तमान टर्नओवर/खाद्य कारोबार की क्षमता के आधार पर क्या मैं एफएसएसएआई पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन या राज्य लाइसेंस के लिए योग्य हूँ ?

उत्तर- यह सलाह दी जाती है कि खाद्य कारोबारी अपनी योग्य श्रेणी के अन्तर्गत ही पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए आवेदन करें, परन्तु यदि कोई खाद्य कारोबारी स्वेच्छा से अपनी योग्यता से बढ़कर उच्चतर

लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है बशर्ते कि वह अन्य मापदंडो जैसे लाइसेंस श्रेणी से जुड़ी शर्तों का अनुपालन करता हो।

प्र.119 मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरे पास अपने खाद्य व्यापार का एफएसएसएआई लाइसेंस मौजुद है। क्या मुझे उत्पाद लेबलों पर एफएसएसएआई पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ?

उत्तर- जी हाँ, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 की धारा 2.2.1.7 के अन्तर्गत एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए उल्लेखित विशिष्टताओं के अनुसार छोटे खाद्य कारोबारियों के लिए भी उत्पाद लेबलों पर एफएसएसएआई पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है। शर्त यह है कि लाइसेंस शब्द के बदले पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन शब्द का इस्तेमाल हो।

प्र.120 रिपैकर श्रेणी हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय मैन्युफैक्चरर से प्राप्त अनापत्ती प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ?

उत्तर- यदि कोई रिपैकर वास्तविक मैन्युफैक्चरर का नाम उत्पाद लेबल पर दर्शाना चाहता है तो लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय मैन्युफैक्चरर से प्राप्त अनापत्ती प्रमाण पत्र महत्तवपूर्ण दस्तावेज के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।

इसके अलावा एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत नियमों एवं विनियमों के अनुसार यदि कोई रिपैकर खाद्य उत्पाद का मालिक है और मैन्युफैक्चर करने वाले का उल्लेख नहीं चाहता पर लेबल के ऊपर खाद्य कारोबारी का नाम दर्शाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय अपने लेटर हेड पर उसे एक स्व-घोषणा पत्र देना पड़ेगा जिसे जमा करने के बाद वह मैन्युफैक्चरर से प्राप्त अनापत्ती प्रमाण पत्र जमा करने से बच सकता है।

[5 अप्रैल, 2022 को निम्नलिखित एफएक्यू जोड़े गए]

प्र.121 यदि कोई खाद्य कारोबारी अपने खाद्य में नगर निगम (सरकारी निकाय) द्वारा वितरित पेय जल व्यवहार करता है तो लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय अनिवार्य दस्तावेज के रूप में क्या उसे जल परीक्षण रिपोर्ट संलग्न करने की आवश्यकता है ?

उत्तर- नहीं, नगर निगम (सरकारी निकाय) द्वारा वितरित पेय जल खाद्य सामग्री के रूप में व्यवहार करने वाले खाद्य कारोबारी लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय अनिवार्य दस्तावेज के रूप में जल परीक्षण रिपोर्ट के स्थान पर जल आपूर्ति बिल संलग्न कर सकते है।

प्र.122 यदि कोई खाद्य कारोबारी अपने खाद्य में मॉल/वाणिज्यिक केन्द्र/बाजार या निजी संस्था इत्यादि द्वारा वितरित पेय जल व्यवहार करता है तो लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय अनिवार्य दस्तावेज के रूप में क्या उसे जल परीक्षण रिपोर्ट संलग्न करने की आवश्यकता है ?

उत्तर- जी हाँ, मॉल/वाणिज्यिक केन्द्र/बाजार या निजी संस्था इत्यादि द्वारा वितरित पेय जल व्यवहार करने वाले खाद्य कारोबारी लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय अनिवार्य दस्तावेज के रूप में मॉल/वाणिज्यिक केन्द्र/बाजार

या निजी संस्था से प्राप्त जल परीक्षण रिपोर्ट (व्यापार श्रेणी के तहत निर्धारित लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज के अनुसार) संलग्न कर सकते है। मॉल/वाणिज्यिक केन्द्र/बाजार या निजी संस्था से प्राप्त जल परीक्षण रिपोर्ट एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

प्र.123 खाद्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाले पेय जल के परीक्षण की आवृत्ति क्या होनी चाहिए?

उत्तर- खाद्य सामग्री के रूप में जल व्यवहार करने वाले खाद्य कारोबार बीआईएस आईएस 10500 (रेडियोधर्मिता मापदंड को छोड़कर) की आवृत्ति पर पेय जल का परीक्षण कर सकते है। यह परीक्षण प्रत्येक वित्तिय वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए तथा जल सैंपलों के दो परीक्षण के बीच छः महीने का अंतर होना चाहिए।

(क) इसके अलावा यह उन खाद्य कारोबारियों के लिए अनिवार्य नहीं है जो अपने खाद्य में नगर निगम (सरकारी निकाय) द्वारा वितरित पेय जल का व्यवहार करते है तथा जल बिल का रिकार्ड रखते है।

(ख) मॉल/वाणिज्यिक केन्द्र/बाजार या निजी संस्था इत्यादि द्वारा वितरित पेय जल व्यवहार करने वाले खाद्य कारोबारी लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय अनिवार्य दस्तावेज के रूप में निर्धारित आवृत्ति के अनुसार मॉल/वाणिज्यिक केन्द्र/बाजार या निजी संस्था से प्राप्त जल परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एफएसएसएआई द्वारा प्रमाणित यह रिपोर्ट निरीक्षण या अँकेक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी या थर्ड पार्टी ऑडिट एजेन्सी/अँकेक्षक को दी जानी चाहिए।

प्र.124 निर्धारित समय के अन्तर्गत लाइसेंसिंग पंजीकरण प्राधिकरण से कोई सूचना प्राप्त न होने की स्थिती में मुझे मेरा लाइसेंस/पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कब प्राप्त होगा?

उत्तर- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के अनुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत लाइसेंसिंग पंजीकरण प्राधिकरण से कोई सूचना प्राप्त न होने की स्थिती में इस संबंध में एफएसएसएआई आदेश संख्या 15(31)2020/फॉसकॉस/आरसीडी/एफएसएसएआई दिनांक 24 मई, 2021, में दिए गए प्रावधान यह कहते है कि लाइसेंस एवं पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण पत्र स्वंय जेनेरेट होते है।

प्र.125 न्युट्रास्युटिकल्स एवं संबंधित खाद्य उत्पादों के उत्पादन में किस श्रेणी के एफएसएसएआई लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है?

उत्तर- इस संबंध में जारी एफएसएसएआई आदेश संख्या 15(31)2020 /फॉसकॉस/आरसीडी/एफएसएसएआई दिनांक 16 सितम्बर, 2021 के अनुसार खाद्य कारोबार जैसे स्वास्थ्य पूरक, न्युट्रास्युटिकल्स, विशेष परहेजी प्रयोग के लिए प्रयुक्त आहार, विशेष चिकित्सक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त आहार, कृत्यकारी खाद्य एवं नूतन खाद्य केन्द्रीय लाइसेंस की श्रेणी में आते है।

प्र.126 मैनें विभिन्न उत्पादों के लिए उत्पादन श्रेणी के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। हालाँकि मैं कुछ उत्पादों के संबंध में लाइसेंसिग प्राधिकरण द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ रहा हूँ। अपना लाइसेंस जल्दी प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर- वे उत्पादक जिन्होंने विभिन्न उत्पादों के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और कुछ उत्पादों के संबंध में समस्याओं का सामना कर रहे है, वे अपने आवेदन प्रक्रिया की तीव्र प्रगति के लिए उन उत्पादों को हटा सकते है। जरूरत पड़ने पर जारी किए गए लाइसेंस के संशोधन में माध्यम से बाद में भी जोड़े जा सकते है। इसके लिए उन्हें रू 1000 का संशोधन शुल्क देना पड़ेगा। अतिरिक्त सूचना हेतु इस संबंध में जारी एफएसएसएआई एडवाइजरी संख्या आरसीडी-01002/1/2021-विनियम-एफएसएसएआई दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 का संदर्भ देखें।

प्र.127 अपनी फॉसकॉस यूजर आईडी की अनुपस्थिति में मैं फॉसकॉस पोर्टल पर लॉग इन कैसे करूँ?

उत्तर- खाद्य कारोबारी फॉसकॉस पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए अपने लाइसेंस/पंजीकरण ण संख्या या आवेदन संदर्भ संख्या और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर फिर से लॉग इन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस संदर्भ में जारी एफएसएसएआई आदेश संख्या 15(31)2020/फॉसकॉस/आरसीडी/एफएसएसएआई दिनांक 25 नवम्बर, 2021 का अवलोकन करें।

प्र.128 क्या आयातित व्यापार श्रेणी के अन्तर्गत जारी एफएसएसएआई लाइसेंस बाकि आयातित खाद्य उत्पादों के खाद्य कारोबार संबंधी गतिविधि के लिए भी पर्याप्त है?

उत्तर- नहीं, आयातित श्रेणी के अन्तर्गत जारी एफएसएसएआई लाइसेंस केवल देश भर में खाद्य उत्पादों के आयात के लिए है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(एन) के अनुसार आयातित खाद्य उत्पादों के अलावा बाकि खाद्य कारोबार संबंधी गतिविधियों के लिए खाद्य कारोबारी लाइसेंस सुधार में आवेदन के माध्यम से अपने मौजूदा लाइसेंस में सभी संबंधित व्यापार श्रेणियों का उल्लेख करें।

प्र.129 मैं अपने खाद्य व्यापार इकाई का स्थानांतरण दुसरे स्थान पर कराना चाहता हूँ। क्या नए स्थान के लिए मैं मौजूदा लाइसेंस संख्या का प्रयोग कर सकता हूँ?

उत्तर- जी हाँ, खाद्य कारोबार अपने नए पते पर मौजूदा लाइसेंस/पंजीकरण संख्या का प्रयोग कर सकते है। ऐसा करने के लिए वे प्रयोज्य संशोधन शुल्क के साथ फॉसकॉस पोर्टल पर जाकर संशोधन हेतु आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस संबंध में जारी एफएसएसएआई आदेश संख्या आरसीडी-01001/4/2021-विनियामक-एफएसएसएआई दिनांक 30 सितम्बर, 2021 का अवलोकन करें।

प्र.130 फॉसकॉस की अधिकारिक यूआरएल क्या है?

उत्तर- फॉसकॉस की अधिकारिक यूआरएल https://foscos.fssai.gov.in है। खाद्य कारोबारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी अन्य वेबसाइट पर पैसे का भुगतान या किसी प्रकार का विवरण जमा न करें। अधिकारिक फॉसकॉस वेबसाइट के अलावा एफएसएसएआई किसी अन्य वेबसाइट पर अनुरोध/शिकायत/अभियोग का निवारण नहीं करता।

प्र. 131 खाद्य कारोबार और उपभोक्ता एफएसएसएआई से संबंधित नए अपडेट्स/आदेश/एडवाइजरी के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे?

उत्तर- खाद्य कारोबारी और उपभोक्ता एफएसएसएआई द्वारा जारी नए अपडेट्स/आदेश/एडवाइजरी इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल पर फूट सेफ्टी कनेक्ट ऐप (

https://play.google.com/store/apps/details?id=safety.connect.food) डाउनलोड कर सकते है अथवा https://fssai.gov.in/advisories.php पर जा कर देख सकते है।